

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

18 जुलाई, 2018 (ई०)

बुधवार, तिथि-

27 आषाढ़, 1940 (श०)

[त्रयोदश (मानसून) सत्र]

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018 से स्थगित)
- (05)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018 से स्थगित)
- (06)- श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018 से स्थगित)
- (07)- श्रीमती सीमा देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018 से स्थगित)
- (08)- श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018 से स्थगित)

-: **आंक 02** -:

- (09)- श्री नागेन्द्र महतो, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (10)- श्री राज सिन्हा, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (11)- श्री कुणाल षडंगी, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (12)- श्री अरुण चटर्जी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (13)- श्रीमती विमला प्रधान, श्री राधाकृष्ण किशोर एवं श्री राम कुमार पाहन स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: **समितियों का गठन :-**

- (14)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

- (15)- संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम-14) की धारा-45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 तथा वार्षिक बजट वर्ष-2017-18 की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (16)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (17)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: **वित्तीय-कार्य :-**

- (18)- वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
{कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

कृ०पृ०३०/-

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2018

- (19)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (20)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (21)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2018" पर विचार हो।
- (22)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।
- (23)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य0का0सू0-05/2018-³²⁸⁸वि0स0, राँची, दिनांक-.....17/07/18

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य0का0सू0-05/2018-³²⁸⁸वि0स0, राँची, दिनांक-.....17/07/18

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य0का0सू0-05/2018-³²⁸⁸वि0स0, राँची, दिनांक-.....17/07/18

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।